14/5/22 पत्रावली सरदीकरण अदालत के पेश हुई। पत्रावली उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम सुनवाई दिनांक 23/5/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

23/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी सं० 1/1 व 1/3 स्वयं उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर नोटिशिया पर अंकित किये। अजमेर पहचान वकील वादी द्वारा की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेजों की सूची दाखिल। वादी सं० 2/2 व 1/4 को मुख्यधारा में लाने के लिये प्रार्थना की। आमतौर पर देखा गया है कि वाद तथ्यों व उनके निष्पादन में कुछ दुरभिसंधि नियत चला करती है। उक्त पत्र आपसी कुलह के वाद को निपटाने में अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। जब ये अदालतें वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। जब स्वयं उभयपक्ष आपसी सहमति से वाद को निपटाने हेतु सहमत हैं तो वाद को आगे चलाने की कोई औचित्य नहीं है। स्वयं वादीगण भी वाद को आपसी कुलह से निपटाकर वाद को विड्रा करना चाहते हैं। प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र बिना किसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर डफ तेल के कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/5/22 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

वादी सं 1/1, 1/3
23/5/22

Identified
23/5/22

प्रति सं. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner